न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 02/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
नोनजी पुत्र कस्तूराजी जाति पुरोहित निवासी नयामोरसीम तहसील बागोडा जिला जालोर।		राज्य सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल व बागोडा जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.03.19.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/1996 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.1997 के विरूद्ध पेश की गई। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.12.81 को मोरसीम के खसरा संख्या 1886 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन स्थाईतौर पर किया गया। उक्त आवंटन का नामानान्तरण संख्या 937 स्वीकृत किया गया एवं अपीलांट को जमाबंदी संवत 2035 से 2038 के खाता संख्या 01 मे बतौर गैरखातेदार दर्ज किया गया। पुराने खसरा नम्बर 1886 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा का नवीन खसरा संख्या 1278 रकबा 2.34 हैक्टर बनाये गये तथा मिसल बंदोबस्त ग्राम नया मोरसीम तहसील भीमनाल सन् 01.07.1989 से सन् 2009 तक बनायी गयी जिसमें खसरा संख्या 1278 रकबा 2.34 हैक्टर में अपीलांट को गैरखातेदार दर्ज किया गया। उसके पश्चात तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन खारिज करवाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन सीलिंग प्रीमियम, भू राजस्व तथा भूमि कर आदि राशि अदा न करने व भूमि पर कब्जा काश्त न होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने के आधार पर खारिज किया है। अपीलांट की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है कृषि के अलावा अपीलांट के पास आजिविका का कोई स्त्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से बकाया राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1/1

दिया गया, जिससे अपीलांट को जवाब व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त है एवं उक्त आराजी में केवल उस साल पैदावार होती है जिस साल में अच्छी बारिश होती है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी के आस–पास सिचांई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त आराजी को देखभाल कर रेतीली भूमि में खाद वगैरा डालकर समतल कर उपजाउ बनाया है। तत्कालीन पटवारी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण करने के आरोप में 91 के तहत प्रकरण बनाया, जिस पर अपीलांट को तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 26.11.2015 को उपस्थित होने हेतु नोटिस भेजा गया। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा जालोर आकर कानूनी राय लेने पर अधिवक्ता द्वारा अपील करने की राय प्राप्त हुई। जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 06. 01.2016 को नकल हेतु आवेदन किया जो अपीलांट को दिनांक 08.01.2016 को प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 11.01.2016 को हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट एक अनपढ एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। अत धारा 5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील म्याद शुमार फरमावे। एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा आवंटन नियम की शर्तो का उल्लंघन किया है। एवं अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। साथ ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के लगभग 18 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है जो कि म्याद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम के तहत आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है जिसमें हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। और जहां तक म्याद के उपशमन का प्रश्न है, तो जैर अपील निर्णय दिनांक 19.11.1997 को पारित किया गया है तथा आदेश पारित होने के लगभग 18 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है साथ ही अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1/2

बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा होता या अपीलांट आवंटन नियमो की पालना विधिवत रूप से करता तो अपीलांट को उक्त आवंटन के संबध में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान होता। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा आवंटन नियमों का पूर्णतया उल्लंघन किया है एवं अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। साथ ही उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/1996 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.1997 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली